रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082021-229183 CG-DL-E-23082021-229183

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3162] No. 3162] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 23, 2021/भाद्र 1, 1943 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 23, 2021/BHADRA 1, 1943

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

# (वाणिज्य विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली. 23 अगस्त. 2021

का.आ. 3415(अ).—केंद्रीय सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है कि चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 12 से 16 तक संबंधित प्रावधानों के साथ उक्त अधिनियम की धारा 39 और धारा 40 के अधीन दंडात्मक प्रावधान प्रभावहीन हो जाएंगे।

अत:, केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 48 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 12 से 16, धारा 39 और धारा 40 के संचलन को इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अगले आदेशों तक के लिए निलंबित करती हैं।

[ फा. सं. के – 57011(11)/2/2021 – बागान (क)] दिवाकर नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव (बागान)

4694 GI/2021 (1)

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Commerce)

### **ORDER**

New Delhi, the 23rd August, 2021

**S.O. 3415(E).**—Whereas, the Central Government considers it necessary or expedient so to do in the public interest that sections 12 to 16 of the Tea Act,1953 (29 of 1953) shall cease to be in operation along with the corresponding penal provisions under section 39 and section 40 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 48 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby suspends the operation of sections 12 to 16, section 39 and section 40 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) until further order with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. K-57011(11)/2/2021-Plant (A)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy. (Plantations)